

बिहार सरकार
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग

पत्रांक-प्र05(2)वजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 56(2025) खाद्य, पटना/दिनांक 02/02/26
प्रेषक,

मो0 नैय्यर इकबाल,
सरकार के सचिव।

सेवा में,

निबंधक, राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना।

अध्यक्ष, जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, पटना, नालंदा, बक्सर, कैमूर, मुजफ्फरपुर, वैशाली, समस्तीपुर, सहरसा, दरभंगा, किशनगंज, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी), पश्चिमी चम्पारण (बेतिया), खगड़िया, मुंगेर, बेगूसराय, जमुई, कटिहार, भोजपुर (आरा), औरंगाबाद, मधेपुरा, गया, भागलपुर, अरवल, सिवान, एवं गोपालगंज, बिहार।

निदेशक, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना।

विषय:- मुख्य शीर्ष-3456 सिविल पूर्ति, उपमुख्य शीर्ष 00, लघुशीर्ष 001 निदेशन तथा प्रशासन, उपशीर्ष 0003 जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण) मांग सं0-18 विपत्र कोड 18-3456000010003 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु कुल 99,39,000/- (निन्यानवे लाख उनचालीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन एवं व्यय की स्वीकृति।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि वित्त विभाग के पत्रांक-2561/वि0 दिनांक-17.04.1998, पत्रांक-227/वि0 दिनांक-28.03.2025, पत्रांक-235/वि0 दिनांक-01.04.2025 एवं पत्रांक-600/वि0 दिनांक-06.08.2025 में निहित निदेश के आलोक में वित्तीय वर्ष 2025-26 में व्यय हेतु विषयांकित शीर्ष के अन्तर्गत संलग्न तालिका 'क' एवं 'ख' के अनुसार मदवार कुल 99,39,000/- (निन्यानवे लाख उनचालीस हजार) रुपये मात्र कॉलम 5 के अनुसार आवंटित किये जाते हैं :-

तालिका

क्र0	विस्तृत शीर्ष	विषय शीर्ष	बजट उपबंध	आवंटित राशि
1	2	3	4	5
1	01-वेतन	01 वेतन	17,09860,00	23,56,000
		02 विशेष वेतन	68,49,000	3,01,000
		03 जीवन यापन भत्ता	12,12,78,000	15,44,000
		04 मकान किराया भत्ता	2,43,36,000	7,51,000
		05 परिवहन भत्ता	66,55,000	28,000
		06 चिकित्सा भत्ता	24,48,000	52,000
		07 अन्य भत्ता	27,90,000	20,000
	योग-18-3456.00.001.0003.01-वेतन		33,53,42,000	50,52,000
2	06 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	01 चिकित्सा प्रतिपूर्ति	8,50,000	40,000
	योग-18-3456.00.001.0003.06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति		8,50,000	40,000
3	11 यात्रा व्यय	01 यात्रा व्यय	65,00,000	6,91,000
	योग-18-3456.00.001.0003.11-यात्रा व्यय		65,00,000	6,91,000
4	13 कार्यालय व्यय	01 कार्यालय व्यय	44,50,000	12,30,000
		02 वाहन का ईंधन एवं रख-रखाव	9,50,000	00
		03 दूरभाष	18,00,000	1,00,000
		04 विद्युत प्रभार	28,00,000	1,65,000
		05 विधि प्रभार	5,00,000	00
		06 वर्दी/पोशाक	00	00
		07 विद्युत प्रभार डी0पी0एस0	4,00,000	00
		10 भाड़े की गाड़ी का भुगतान	5,50,000	00

	योग-18-3456.00.001.0003.13-कार्यालयी व्यय		1,14,50,000	14,95,000
05	14 किराया दरें और कर	01 किराया महसूल एवं कर	1,29,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.14-किराया दरें और कर		1,29,00,000	00
06	20 अन्य प्रशासनिक व्यय	02 कॉन्फरेंस, कार्यशाला, सेमिनार	25,000	00
		03 प्रशिक्षण व्यय	8,50,000	30,000
	योग-18-3456.00.001.0003.20-अन्य प्रशासनिक व्यय		8,75,000	30,000
07	21 सामग्री और आपूर्ति	01 सामग्री एवं पूर्तियाँ	4,16,000	1,25,000
	योग-18-3456.00.001.0003.21-सामग्री और आपूर्ति		4,16,000	1,25,000
08	26 विज्ञापन और प्रकाशन	01 विज्ञापन और प्रकाशन	65,00,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.26-विज्ञापन और प्रकाशन		65,00,000	00
09	28-व्यावसायिक सेवाये	02 संविदा सेवाये	5,80,00,000	25,06,000
	योग-18-3456.00.001.0003.28 व्यवसायिक सेवाये		5,80,00,000	25,06,000
10	51 मोटर वाहन	01 मोटरगाडी कार्यालय	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.51-मोटर वाहन		1,000	00
11	52 मशीनें एवं उपस्कर	02 मशीनें एवं उपस्कर-अन्य	1,000	00
	योग-18-3456.00.001.0003.52-मशीनें एवं उपस्कर		1,000	00
	कुल योग-18-3456.00.001.0003-जिला प्रभार (उपभोक्ता संरक्षण)		43,28,35,000	99,39,000

2. कुल 99,39,000/- (निन्यानवे लाख उनचालीस हजार) रुपये मात्र का आवंटन इस आवंटनादेश से निर्गत किया जा रहा है जिसकी विवरणी 'क' एवं 'ख' में निम्नवत् है :-

: क :

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	वेतन	विशेष वेतन	जीवन यापन भत्ता	मकान किराया भत्ता	परिवहन भत्ता	चिकित्सा भत्ता	अन्य भत्ता	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बेगूसराय	505000	50000	193000	351000	6000	6000	00	1111000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, मुंगेर	900000	100000	400000	70000	10000	20000	00	1500000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, गोपालगंज	250000	50000	150000	30000	10000	10000	00	500000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, गया	700000	100000	800000	100000	1000	15000	10000	1726000
5	उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना	1000	1000	1000	200000	1000	1000	10000	215000
	कुल योग:-	2356000	301000	1544000	751000	28000	52000	20000	5052000

: ख :

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	प्रशिक्षण व्यय	सामग्री पूर्तियाँ	संविदा सेवाएँ	कुल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बिहार, पटना	00	150000	00	00	00	00	00	300000	450000
2	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, पटना	00	50000	00	00	40000	00	50000	00	140000
3	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, नालन्दा	00	100000	00	00	00	00	00	00	100000
4	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बक्सर	25000	00	00	60000	00	00	00	300000	385000
5	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, कैमूर	16000	00	00	00	00	00	00	00	16000
6	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, मुजफ्फरपुर	50000	100000	00	50000	00	00	75000	00	275000
7	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, वैशाली	50000	100000	00	00	00	00	00	00	150000
8	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, पूर्वी चम्पारण (मोतिहारी)	00	75000	00	00	00	00	00	00	75000
9	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, पश्चिमी चम्पारण (बेतिया)	25000	100000	00	00	00	00	00	00	125000
10	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, खगड़िया	00	75000	00	00	00	00	00	100000	175000
11	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, बेगूसराय	50000	50000	00	00	00	30000	00	200000	330000
12	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, जमुई	50000	00	00	00	00	00	00	00	50000
13	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, कटिहार	50000	00	00	00	00	00	00	00	50000
14	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतिलोष आयोग, मुंगेर	25000	100000	100000	00	00	00	00	00	225000

क्र०	जिला कार्यालय का नाम	यात्रा व्यय	कार्यालय व्यय	दूरभाष	विद्युत प्रभार	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	प्रशिक्षण व्यय	सामग्री पूर्तियों	संविदा सेवाएँ	कुल
15	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भोजपुर (आरा)	00	00	00	00	00	00	00	1500000	1500000
16	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, औरंगाबाद	100000	00	00	00	00	00	00	00	100000
17	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, मधेपुरा	25000	00	00	00	00	00	00	00	25000
18	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, भागलपुर	25000	00	00	00	00	00	00	00	25000
19	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, अरवल	25000	25000	00	00	00	00	00	00	50000
20	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सिवान	25000	50000	00	00	00	00	00	00	75000
21	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गोपालगंज	50000	30000	00	00	00	00	00	91000	171000
22	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, समस्तीपुर	75000	50000	00	00	00	00	00	00	125000
23	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, सहरसा	25000	25000	00	00	00	00	00	00	50000
24	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, दरभंगा	00	50000	00	00	00	00	00	00	50000
25	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, किशनगंज	00	00	00	55000	00	00	00	00	55000
26	जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, गया	00	100000	00	00	00	00	00	00	100000
27	उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना	00	00	00	00	00	00	00	15000	15000
कुल :-		691000	1230000	100000	165000	40000	30000	125000	2506000	4887000

3. राशि की निकासी निबंधक राज्य उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग, बिहार, पटना एवं निदेशक उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से एवं जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोष आयोग के अध्यक्षों द्वारा एवं उनकी अनुपस्थिति में जिला पदाधिकारी द्वारा संबंधित जिला कोषागार से की जायेगी।

4. राशि की निकासी पूर्णतः वित्तीय नियमों एवं वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत परिपत्रों में निहित निदेश के आलोक में की जायेगी। गलत एवं अधिक निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे।

5. संविदा पर नियोजित कर्मियों का मानदेय व्यावसायिक सेवाएँ अन्तर्गत संविदा सेवाएँ मद से देय होगी। बेल्ट्रॉन के माध्यम से संविदा के आधार पर नियोजित कर्मियों के मानदेय की राशि इस आवंटन में सम्मिलित है।

6. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी प्रत्येक माह की 10वीं तिथि तक इकाईवार व्यय प्रतिवेदन निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायेंगे।

7. वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 में होने वाले पूर्ण व्यय का आकलन करते हुए पूर्व में प्रेषित विभागीय पत्र के आलोक में दिये गये एवं दिये जा रहे आवंटन के अतिरिक्त यदि और राशि की आवश्यकता हो तो पूर्ण औचित्य के साथ इकाईवार विस्तृत विवरणी सहित राशि की अधियाचना उपलब्ध करायी जाय।

9. इस आवंटन में सदस्यों के मानदेय की राशि भी सम्मिलित है।

10. इस आवंटन से स्वीकृत बल के आलोक में कार्यरत कर्मचारियों/पदाधिकारियों को ही नियमतः भुगतान किया जाय।

विश्वासभाजन,

सरकार के सचिव 2/2/26

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 56(अप) खाद्य, पटना/दिनांक 02/02/26
प्रतिलिपि:-महालेखाकार बिहार, वीरचन्द्र पटेल पथ, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 56(अप) खाद्य, पटना/दिनांक 02/02/26
प्रतिलिपि:-कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना/सभी संबंधित जिला कोषागार पदाधिकारी, बिहार को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव

ज्ञापांक-प्र05(2)बजट आवंटन(स्था0 एवं प्रति0 व्यय)-03/2025 56(अप) खाद्य, पटना/दिनांक 02/02/26
प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, (बजट शाखा), बिहार, पटना/विशेष कार्य पदाधिकारी-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी, उपभोक्ता संरक्षण निदेशालय, बिहार, पटना/सचिव कोषागार, आई0टी0 मैनेजर, खाद्य एवं उपभोक्ता एवं संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के सचिव